

वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017-चैत्र 3, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Puran Sharan Soni S/o Shri Umesh Kumar Soni, R/o 23-B, Sheetal Nagar, Vijay Nagar, Near Radission Hotel Indore Permanent Address-48, Matndal Kala Post. Gajan Tehseel Kotar, Dist. Satana, Madhya Pradesh Have changed my name From Purna/Purana Sharan Soni To Puran Sharan Soni.

(PURAN SHARAN SONI)

23-B, Sheetal Nagar, Vijay Nagar,
Near Radission Hotel, Indore.

(755-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर (जौरा), जिला मुरैना का नियमित छात्र है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अमन शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा है। लेकिन विद्यालय के तथा अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अमन गौतम पुत्र विनोद गौतम अंकित हो गया है। इस सूचना का प्रकाशन इस उद्देश्य से कराया जा रहा है कि भविष्य में मेरे अमन शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए, सभी सूचित हों।

सूचनाकर्ता-

(विनोद कुमार शर्मा)

पुत्र श्री रामसेवक शर्मा,
निवासी-दुर्गा मेम्बर वाली गली,
गोपालपुरा, मुरैना (म. प्र.).

(756-बी.)

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकुमार शर्मा पुत्र भी भगवान लाल शर्मा ने अपना उपनाम झाँ परिवर्तित कर लिया है तथा भविष्य में मुझे राजकुमार झाँ पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(राजकुमार शर्मा)

(राजकुमार झाँ)

पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा,
नाका चन्द्रवदनी, नहर वाली माता के ऊपर
गली नं 4, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(757-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री मारुती सोलर फर्म जिसका पता-श्रीनिधि 2236, राईट टाउन, प्रेम मंदिर के पास, जबलपुर (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00069/10, दिनांक 08-06-2010 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार 1. श्रीमती नीला नेगंधी पति श्री एन. नेगंधी, 2. श्री हेमन्त नेगंधी पिता श्री नन्दलाल नेगंधी, 3. श्री नन्दलाल नेगंधी पिता श्री मोहनलाल नेगंधी, 4. श्रीमती आरती नेगंधी पति श्री हेमन्त नेगंधी, 5. श्री जय नेगंधी पिता श्री नितिन नेगंधी, 6. श्री नितिन नेगंधी पिता श्री नन्दलाल नेगंधी, 7. श्री रचित नेगंधी पिता श्री नितिन नेगंधी, 8. श्रीमती विनोद नेगंधी पति श्री नन्दलाल नेगंधी, 9. कु. खुशबू नेगंधी पिता श्री हेमन्त नेगंधी, 10. श्री देव नेगंधी पिता श्री हेमन्त नेगंधी, 11. मे. नन्दलाल एम. नेगंधी (एच. यु. एफ.), 12. मे. नितिन एन. नेगंधी (एच. यु. एफ.), 13. मे. हेमन्त एम. नेगंधी (एच. यु. एफ.), 14. कु. मेहक नेगंधी पिता श्री हेमन्त नेगंधी थे तत्पश्चात् दिनांक 01-03-2017 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा-1. श्री मोहन सेंगर पिता श्री इन्द्र सिंह सेंगर, 2. श्रीमती सुनीता सेंगर पति श्री मोहनलाल नेगंधी, 3. श्री जय नेगंधी पिता श्री नितिन नेगंधी, 4. श्री रचित नेगंधी पिता श्री नितिन नेगंधी, 5. कु. खुशबू नेगंधी पिता श्री हेमन्त नेगंधी, 6. मे. नन्दलाल एम. नेगंधी (एच. यु. एफ.), 7. मे. नितिन एन. नेगंधी (एच. यु. एफ.) भागीदारी फर्म मेसर्स श्री मारुती सोलर से पृथक् हो गये हैं। इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स श्री मारुती सोलर से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है। तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं फर्म का पंजीकृत कार्यालय 51/A, करसदेव नगर, हनुमान मंदिर के पास, इंदौर हो गया है। यह विदित हो।

तर्फे-

मेसर्स श्री मारुती सोलर,

1. श्री हेमन्त नेगंधी, 2. श्रीमती आरती नेगंधी, 3. श्री नितिन नेगंधी,
4. श्रीमती विनोद नेगंधी 5. श्री देव नेगंधी, 6. मे. हेमन्त एम. नेगंधी (एच. यु. एफ.)
7. कु. मेहक नेगंधी, 8. श्री मोहन सेंगर 9. श्रीमती सुनीता सेंगर.

(पार्टनर)

(758-बी.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स नन्दन पैट्रोलियम, स्थित प्लॉट नं. 57/2. एकता कॉलोनी, जयस्थ नाक, सिवनी मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन 04/18/01/00028/05, दिनांक 30 मई, 2005 है जिसमें भागीदार श्री मूलचंद ठाकुर पुत्र स्व. श्री होत चंद ठाकुर, निवासी सिन्धी कॉलोनी, सिवन मध्यप्रदेश का स्वर्गवास दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 17 अगस्त, 2016 को भागीदारी श्री चन्द्रभान ठाकुर पुत्र स्व. श्री होत चंद ठाकुर एवं श्रीमती विमला ठाकुर पति श्री चन्द्रभान ठाकुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 17 अगस्त, 2016 को भागीदार मनीष ठाकुर पुत्र स्व. श्री मूलचंद ठाकुर, निवासी महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सिवनी मध्यप्रदेश एवं सोनाल ठाकुर पुत्र स्व. श्री मूलचंद ठाकुर, निवासी महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सिवनी मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म- नन्दन पैट्रोलियम,

मीना ठाकुर,

(भागीदार)

सिवनी (म. प्र.).

(759-बी.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ग्लोबल बायो फ्यूल्स मुरैना स्थित शॉप नं. 08, टाउन हॉल, जीवाजीगंज मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/00203/12, दिनांक 09 फरवरी 2012 है. जिसमें दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से भागीदार निखिल अग्रवाल पुत्र श्री प्रमोद अग्रवाल, निवासी दत्तपुरा मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. तथा इसी दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से नये भागीदार के रूप में राहुल बंसल पुत्र श्री महेश चन्द्र बंसल, निवासी मारकण्डेश्वर बाजार मुरैना फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-ग्लोबल बायो फ्यूल्स
सचिन गुप्ता,
(भागीदार)
शॉप नं. 08 टाउन हॉल,
जीवाजीगंज मुरैना (म. प्र.).

(760-बी.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स धनराज जेटवानी स्थित सक्खर कॉलोनी नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00052/10, दिनांक 24 मई, 2010 है. दिनांक 28 जनवरी, 2017 को श्री आशीष जेटवानी पुत्र स्व. श्री ईश्वर लाल जेटवानी, निवासी सक्खर कॉलोनी, नई सड़क लश्कर, ग्वालियर की मृत्यु हो जाने से भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 29 जनवरी, 2017 से भागीदारी श्री हरीराम सचदेव पुत्र श्री परशुराम सचदेव, निवासी ठाटीपुर, ग्वालियर एवं श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सतराम दास, निवासी सक्खर कॉलोनी, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स-धनराज जेटवानी,
पवन जेटवानी,
(भागीदार)

सक्खर कॉलोनी, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर.

(761-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2017

क्र. जी. बी./दो(68)2016/483.—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु मन्युअल, रजिस्टर एवं कार्ड के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित मुद्रण, पैकिंग, परिवहन एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय करने हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल में जीवित पंजीकृत मुद्रकों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाई <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं, दिनांक 28 मार्च, 2017 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी, पेपर, नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 28 मार्च, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष आई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाई www.govtppressmp.nic.in पर भी रखा गया है.

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtppressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

नस्ती पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित.

विलास मंथनवार,

उप नियंत्रक,

वास्ते नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश भोपाल.

(1054)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर
प्रकरण क्रमांक 01/बी-113/2016-17.

प्रारूप-पांच

[देखिये नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(1) व 5(2) के अन्तर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष।

आवेदक अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन लक्ष्यपति पिता भंवरलाल जी जैन एवं महामंत्री सुमत कुमार जैन पिता दुलीचंद जी जैन, निवासी अकोदिया मंडी, तहसील शुजालपुर के द्वारा मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-2 की उप-धारा (4) के अभिप्राय के लिये श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति लोक न्यास, धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, अकोदिया मंडी, पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। जिस पर दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | न्यास का मुख्यालय | : | अकोदिया, तहसील-शुजालपुर |
| 2. | कार्यक्षेत्र | : | अकोदिया, तहसील-शुजालपुर, जिला शाजापुर (म. प्र.) |
| 3. | न्यास का उद्देश्य | : | धार्मिक एवं पारमार्थिक |
| 4. | न्यास के आय के साधन | : | दान, बोली, चढ़ावा, धर्मशाला का किराया आदि। |

चल व अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है-

चल संपत्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अकोदिया में बचत खाता क्रमांक 2274404520 में 1,32,000/- एवं 20,000/- म्यादी जमा

अचल संपत्ति

निरंक

पेशी दिनांक 28 अप्रैल, 2017

(1055)

गिरीश कुमार मिश्रा,
अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर भोपाल
प्रक्र.32/बी-121/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटैबिल ट्रस्ट) द्वारा श्री रामशरण सलूजा ट्रस्टी एवं चैयरमैन निवासी ग्राम बिशनखेडी, नियर साईं भद्रभदा रोड, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में किये गये बदलाव ट्रस्ट के पूर्व सदस्य श्रीमती शालिनी बूलचंदानी एवं श्रीमती रीना भंडारी द्वारा इस्तीफा दिया गया है। इनके स्थान पर श्री विजयसिंह राजपूत, श्री राजीव भल्ला, श्री आदित्यकुमार, श्री पुनीत श्रीवास्तव के नाम ट्रस्ट में जोड़े गये की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी, 2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटैबिल ट्रस्ट
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(1056)

अतुल सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार,

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण, वनमण्डल, शहडोल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर के अंतर्गत परिक्षेत्र अधिकारी, जैतपुर ने अपने पत्र क्र.1899, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र सहायक घोर्वे को प्रदाय पर्सनल हैमर जंगल भ्रमण के दौरान दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को मोटर सायकल का लॉक खराब होने के कारण कहीं जंगल में गुम हो गया है। काफी छानबीन करने के बावजूद भी हैमर का कहीं पता नहीं चला। जिसकी सूचना थाना प्रभारी बुढ़ार में दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। परिक्षेत्र सहायक घोर्वे के उक्त कृत्य के लिये कार्यालयीन पत्र क्र./माचि/11119, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। तत्संबंध में परिक्षेत्र सहायक घोर्वे द्वारा प्रतिउत्तर परिक्षेत्र अधिकारी, जैतपुर के कार्यालयीन पत्र क्र.2165, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 से जवाब प्रस्तुत किया गया है प्राप्त उत्तर का अवलोकन करने पर पाया गया कि तत्का परिक्षेत्र सहायक घोर्वे द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही व असावधानी बरतने के कारण अपने आपको भागी बनाया गया है।



अतः उक्त हैमर न मिलने की स्थिति में यह आदेश देता हूँ कि:-

आदेश

आ.क्र./स्था/87—वन वित्तीय नियम की धारा 124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा श्री आनन्द प्रताप सिंह, वनपाल परिक्षेत्र सहायक घोर्वे, से उक्त हैमर का मूल्य ₹ 500.00 (रुपये पाँच सौ) मात्र एक मुश्त उनके वेतन से वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है।

श्री आनन्द प्रताप सिंह, वनपाल परिक्षेत्र सहायक घोर्वे, को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत के चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिलता है तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दाण्डक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

(1051)

देवांशु शेखर,
वनमण्डलाधिकारी।

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/515.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2926, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा डायमण्ड केनवास एवं अटैची निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत डायमण्ड केनवास एवं अटैची निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 501, दिनांक 12 अगस्त, 2004 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/514.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2853, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 29 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-A)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/513.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2852, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरईभाट, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरईभाट, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 29 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-B)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/512.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2851, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ऐचबाडा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ऐचबाडा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 29 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-C)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/511.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2850, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., परिच्छा अहीर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., परिच्छा अहीर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 29 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-D)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/510.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2849, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विलोकला, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विलोकला, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 12 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-E)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/509.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2848, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोरियाखालसा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोरियाखालसा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 12 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-F)

शिवपूरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/508.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2846, दिनांक 05 दिसंबर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या०, जोराई, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जोराई, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 681, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-G)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/507.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2845, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देवपुरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देवपुरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 677, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमाप्त में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमाप्त नियुक्त करता हूँ।

(1043-H)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/506.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2844, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या॑, करही, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करही, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 12 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-I)

शिवपरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/505.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2843, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या, डंगोरा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञिति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या, डंगोरा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-J)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/504.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2842, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमरखोआ, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञिति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या, अमरखोआ, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-K)

शिवपुरी, दिनांक 21 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/503.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2841, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायश्री, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञिति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या, रायश्री, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 676, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1043-L)

शिवपुरी दिनांक 17 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/465.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयक क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सिरसौद, तहसील शिवपुरी।	657/01-12-2015	1008/16-05-2016	श्री व्ही. डी. अग्रवाल सहकारी निरीक्षक।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1043-M)

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/1018, मण्डला, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी कोको, विकासखण्ड मवई की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधान कारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी कोको, पंजीयन क्रमांक 1360, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मवई को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/793, मण्डला, दिनांक 11 अगस्त, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खम्हरिया, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने, निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन नहीं करने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधान कारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/2016/882, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समिति द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खम्हरिया, पंजीयन क्रमांक 824, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/792, मण्डला, दिनांक 11 अगस्त, 2016 के द्वारा जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरौची, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होन, निर्धारित समयसीमा में निर्वाचन नहीं कराने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। संदर्भित कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/2016/881, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 द्वारा स्मरण कराया गया इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समिति द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरौची, पंजीयन क्रमांक 829, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/1015, मण्डला, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 के द्वारा जनकल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत जनकल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-C)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/904, मण्डला, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 के द्वारा कान्हा गाईड कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, किसली, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत कान्हा गाईड कर्मचारी

साख सहकारी समिति मर्यादित किसली पंजीयन क्रमांक 1370, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयनीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/1016, मण्डला, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिसौरा, विकासखण्ड निवास की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिसौरा पंजीयन क्रमांक 826, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री पी. पी. तिवारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड निवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयनीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/904, मण्डला, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 के द्वारा महालक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, तारागढ़, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत महालक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्यादित, तारागढ़ पंजीयन क्रमांक 1377, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयनीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2016/1017, मण्डला, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 के द्वारा जागजाबो साख सहकारी समिति मर्यादित, हर्टोला, विकासखण्ड मवई की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझे में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत जागजाबो साख सहकारी समिति मर्यादित, हराटीला पंजीयन क्रमांक 1375, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मवई को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परि. की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयनीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1044-G)

ए. के. दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर सीहोर, दिनांक 07 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./2016-17/557.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सीहोर, जिसका पंजीयन क्र./एस..एच.आर./एच. ओ./142, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल, के आदेश क्र./परि./2016/273, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1045)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
परिसमापक

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत)

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	त्रिमूर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	DR/GWR/97/31/12/91	1942/19-10-2015
2.	दि. ग्वालियर आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	AR/GWR/666/8/03/94.	3031/28-12-2016
3.	श्रमिक सत्योग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	DR/GWR/71/23/02/78	2368/07-11-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्रों के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)

सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाइ गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीकृत निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1046)

एम. एस. भदौरिया,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत)

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	ए. एस. साख सहकारी संस्था ग्वालियर	AR/GWL/988/16/10/09	1008/29-03-2016
2.	दुध संघ कर्मचारी गृह निर्माण सह. स. मर्या., ग्वालियर	DR/GWL/188/6/02/92	1520/22-06-2016
3.	सत्यराज गृह निर्माण सह. स. मर्या., ग्वालियर	DR/GWL/356/9/09/03	1520/22-06-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्रों के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाइ गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीकृत निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1047)

आर. एस. सोलंकी,
अंकेक्षण अधिकारी।

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 02 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/513.-सुलोचना प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 13 जुलाई, 1998 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015-16/391, दिनांक 22 फरवरी, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 02 मार्च, 2017 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अंत: मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये सुलोचना प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, CEO मुरैना कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह प्रकाशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(1048)

मुरैना, दिनांक 02 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/512.-पुलिस कोआपरेटिव कन्जूमर स्टोर सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 172, दिनांक 30 अप्रैल, 1953 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015-16/384, दिनांक 22 फरवरी, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 02 मार्च, 2017 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अंत: मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये पुलिस कोआपरेटिव कन्जूमर स्टोर सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, CEO, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह प्रकाशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम, में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

(1048-A)

मुरैना, दिनांक 02 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/514.-दुर्गंध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी धमकन, जिसका पंजीयन क्रमांक 771, दिनांक 30 जून, 1988 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015-16/392, दिनांक 22 फरवरी, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 02 मार्च, 2017 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त

(अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्था वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी धमकन, जिला मुरैना को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री रज्जाक खान, पर्यवेक्षक कार्यालय ग्वालियर दुग्ध संघ सह. मर्या., ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा यह प्रकाशित करता हूं कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(1048-B)

आर. सी. शर्मा,
उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 23 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/209.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित मिर्मांकित सहकारी समिति का पंजीयन निरस्त करता हूं उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	रायल प्राथ. उप सहकारी भण्डार खरगौन मर्या., खरगौन।	खरगौन	11469/24-11-2005	1063/27-08-2016	श्री एस. आर. सोलंकी व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1049)

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक।

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दमोह

दमोह, दिनांक 07 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./2017/294.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दमोह, तहसील दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. एम. एच./एच. ओ./107, दिनांक 25 जनवरी, 1965 है को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, सागर, संभाग सागर के आदेश क्र./विधि/2016/166, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57(सी/11) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को अपने समस्त दावों को मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करने हेतु संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों

को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण-पत्र के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा (क्लोम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

संजय सिंह आर्य,
परिसमापक।

(1050)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिहलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनावद, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 04 जून, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी वरि. स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1149, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा समृद्धि महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1696, दिनांक 23 मई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहरे, स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1149, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा क्षिप्रा लिफ्ट एरिगेशन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1687, दिनांक 16 जून, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहरे, स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करंज, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 27 जुलाई, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, ब. स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा शुभम् बीज उत्पा. विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 18 मई, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. असोड़िया, स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

बड़ेश्वरी बीज उत्पा. एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., बोलखेड़ा नाऊ, पंजीयन क्रमांक 2011, दिनांक 12 जनवरी, 2015 आदेश क्रमांक/परि./744, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./744, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत बड़ेश्वरी बीज उत्पा. एवं विप. सह. संस्था मर्या., बोलखेड़ा नाऊ, पंजीयन क्रमांक 2011, दिनांक 12 जनवरी, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1052-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

श्री सिद्धेश्वर महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जवासिया पथ, पंजीयन क्रमांक 2270, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत श्री सिद्धेश्वर महादेव बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., जवासिया पंथ, पंजीयन क्रमांक 2270, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

अक्षय बीज उत्पादक सहकारी संथा मर्या., कासोन, पंजीयन क्रमांक 2230, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत अक्षय बीज उत्पादक सहकारी संथा मर्या., कासोन, पंजीयन क्रमांक 2230, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

महिला दुर्ध सहकारी संथा मर्या., मड़ावडी, पंजीयन क्रमांक 2088, दिनांक 15 जून, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती मोनिका सक्सेना, सह. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था के परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु दिनांक 20 अगस्त, 2016 को निर्वाचन पूर्ण होने के बावजूद उक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया गया है। जिसके कारण परिसमापक द्वारा संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

महिला दुर्घट सहकारी संथा मर्या., बिनायगा, पंजीयन क्रमांक 2153, दिनांक 20 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था के परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु दिनांक 20 अगस्त, 2016 को निर्वाचन पूर्ण होने के बावजूद उक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया गया है। जिसके कारण परिसमापक द्वारा संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

दुर्घट उत्पादक सहकारी संथा मर्या., डॉंगरखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 532, दिनांक 16 मई, 1981 आदेश क्रमांक/परि./1673, दिनांक 23 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1673, दिनांक 23 जुलाई, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुर्घट उत्पादक सहकारी संथा मर्या., डॉंगरखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 532, दिनांक 16 मई, 1981 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गृह निर्माण सहकारी संथा मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 25 जुलाई, 1971 आदेश क्रमांक/परि./676, दिनांक 09 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री मानसिंह चौरसिया, सह. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./676, दिनांक 09 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

गृह निर्माण सहकारी संथा मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 25 जुलाई, 1971 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

नव दुर्गा बीज उत्पा. सहकारी संथा मर्या., गैलाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2003, दिनांक 01 जनवरी, 2015 आदेश क्रमांक/परि./744, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./744, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत नव दुर्गा बीज उत्पा. सहकारी संथा मर्या., गैलाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2003, दिनांक 01 जनवरी, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा श्री महाकाल कृषि उपज प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1524, दिनांक 08 अप्रैल, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. राय, वरि. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नान्देड, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 577, दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, वरि. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालाखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 23 अक्टूबर, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, वरि. स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2690, दिनांक 12 सितम्बर, 1996 द्वारा क्षेत्रीय सोयाबीन संघ कर्मचारी साथ सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2187, दिनांक 08 दिसम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ कालिका मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1446, दिनांक 11 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अशोक मालवीय, उप-अंकेश्वक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/309.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्यानजीक, जिसका पंजीयन क्रमांक 611 दिनांक 06 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उच्ज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052-R)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/583.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/681, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा दुर्घात्मक सह. सं. गोंचीतरोंदा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2844, दिनांक 28 मई, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनीता चौधरी, सह. निरी. कार्यालय सहायक आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुर्घात्मक सह. सं. गोंचीतरोंदा, पंजीयन क्रमांक 2844, दिनांक 28 मई, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/582.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा माँ नर्मदा साख सह. सं. नयागांव, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3021, दिनांक 27 जनवरी, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. पगारे, सह. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ नर्मदा साख सह. सं. नयागांव, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3021, दिनांक 27 जनवरी, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-A)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/581.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा माँ भवानी साख सह. सं. महगांव, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3014, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सह. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ भवानी साख सह. सं. महगांव, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3014, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-B)

होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/580.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा श्री मातरम साख सह. सं. बिल्लुआ, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3042, दिनांक 25 अगस्त, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सह. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये श्री मातरम साख सह. सं. बिल्लुआ, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3042, दिनांक 25 अगस्त, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-C)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/578.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा जय श्रीराम साख सह. सं. मेंदखेड़ा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3040, दिनांक 16 फरवरी, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सह. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जय श्रीराम साख सह. सं. मेंदाखेडा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3040, दिनांक 16 फरवरी, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-D)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/577.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा विनायक साख सह. सं. बाचावानी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2997, दिनांक 29 फरवरी, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सह. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त अंके होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये विनायक साख सह. सं. बाचावानी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2997, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-E)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/576.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/787, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा नारायण बीज पौध क्रय-विक्रय सह. सं. ढावाकला, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2956, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री किशोर पाराशार, व. स. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये नारायण बीज पौध क्रय-विक्रय सह. सं. ढावाकला, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2956, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-F)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/575.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/758, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा महादेव बीज पौध क्रय-विक्रय स. स. भट्टी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2953, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री किशोर पाराशर, व. स. निरी. कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महादेव बीज पौध क्रय-विक्रय स. स. भट्टी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2953, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-G)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/574.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/1064, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा आस्था साख सह. सं. इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3290, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सह. निरी. कार्यालय सहायक आयुक्त अंके होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये आस्था साख सह. सं. इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3290, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1053-H)

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017-चैत्र 3, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, छतरपुर, सिवनी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), गौरीहार, बक्सवाहा (छतरपुर), सिवनी, बरधाट, छपरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- निरंक

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, धार, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिण्डोरी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, उमरिया, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर व कटनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला मुरैना में फसल बाजरा, अनूपपुर में मसूर, बुरहानपुर में सोयाबीन, होशंगाबाद, डिण्डोरी में धान व दमोह, सीधी, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सिवनी, बालधाट में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बाजरा फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रैन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	13.5 9.2				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्री 5. शाढ़ौरा			
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना 2. राधोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज			
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उर्दा, मूँगफली, तिल, अरहर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा			
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लब-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बडामलहरा 8. बक्सवाहा	.. 3.0 6.8				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. परवई 5. शाहनगर				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसल जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूँग, मक्का, गन्ना, मूँगफली, तिल सुधरी हुई। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान अधिक, सोयाबीन कम, अरहर समान। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. रघुराजनगर 2. मशगवां 3. रामपुर-बधेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	..				
15. *जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरक-चुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द अधिक। (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. गोहपारू 5. जैतपुर 6. बुढार	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मसूर की बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, मसूर समान। (2) उपरोक्त फसलों समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों कम। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटपा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कायामपुर				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, उड्ड, तिल, तुअर, मूँगफली, मूँग अधिक. सोयाबीन, धान कम. ज्वार समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा		(2) ..		
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. बड़ौद 2. सुसनर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूँगफली, कपास, तुअर अधिक. मक्का, धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोकट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. च. शेखर आ. नगर				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सावेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. निवाली	मिलीमीटर ..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
34. जिला खण्डवा : 1. खण्डवा 2. पंधाना 3. हरसूद	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, ज्वार, उड्ड मूँग. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
35. जिला बुरहानपुर : 1. बुरहानपुर 2. खकनार 3. नेपानगर	मिलीमीटर ..	2. फसल सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
36. *जिला राजगढ़ : 1. जीरापुर 2. खिलचीपुर 3. राजगढ़ 4. ब्याकरा 5. सारंगपुर 6. पचोर 7. नरसिंहगढ़	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
37. जिला विदिशा : 1. लटेरी 2. सिरोंज 3. कुरवाई 4. बासोदा 5. नटेरन 6. विदिशा 7. गुलाबगंज 8. ग्यारसपुर	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
38. जिला भोपाल : 1. बैरसिया 2. हुजूर	मिलीमीटर ..	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
39. जिला सीहोर : 1. सीहोर 2. श्यामपुर 3. आस्टा 4. जावरा 5. इछावर 6. नसरुल्लागंज 7. रेहटी 8. बुधनी	मिलीमीटर ..	2. जुताई व बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, गन्ना अधिक, मूँग, सोयाबीन कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन, मूँग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों- कुटकी अधिक. उड़द कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों- कुटकी, तुअर, उड्ड, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड्ड, रामतिल समान (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांडुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. चाँद 10. बिछुआ 11. हरई 12. मोहखेड़ा 13. उमरेठ				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड्ड, मौँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरधाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	12.20 .. 21.20 3.0 60.0 2.60				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर 7. खैरलांजी 8. लालबरा 9. बिरसा 10. परसवाड़ा				

टीप.-*जिला गुना, रीवा, सिंगरौली, आगर, राजगढ़, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

(1057)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.